न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/409

1. राम कुमार आत्मज रामसुख ।
2. रामस्वरूप आत्मज रामसुख मृतक जरिये कायमुकामान :–
   2/1. मोत्या बाई बेवा रामस्वरूप ।
   2/2. जगदीश आत्मज रामस्वरूप ।
   2/3. गुड्डी बाई पुत्री रामस्वरूप ।
   2/4. रोज पुत्री रामस्वरूप ।
   2/5. हरिओम आत्मज रामस्वरूप ।
3. हेमराज आत्मज रामसुख ।
4. किशन गोपाल आत्मज रामसुख ।
5. धर्मराज आत्मज रामसुख जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज घांसी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. द्वारका बाई बेवा प्रभूलाल
   1/2. कन्हैया लाल आत्मज प्रभूलाल
   1/3. रतन बाई पुत्री प्रभूलाल
2. मोतीलाल आत्मज जगन्नाथ जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कालू लाल आत्मज जगन्नाथ ।
4. बाबूलाल आत्मज जगन्नाथ ।
5. शांति लाल आत्मज जगन्नाथ ।
6. पुष्पाबाई बेवा जगन्नाथ (नामतर्क) ।
7. गोपाली बाई पुत्री जगन्नाथ ।
8. रूकमणी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
9. छोटी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
10. स्यानी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
11. हरि बल्लभ उर्फ बलफा आत्मज घांसी लाल ।
12. छोटू लाल उर्फ छोट्या आत्मज घांसी लाल ।
13. भूली बाई पुत्री भवाना ।
14. मथुरी बाई पुत्री भवाना ।
15. लक्ष्मण पुत्र रामनाथ मृतक जरिये कायममुकामान :–
    15/1. रामनाथी बेवा लक्ष्मण ।
    15/2. चतुर्भुज आत्मज लक्ष्मण ।
    15/3. नन्द किशोर आत्मज लक्ष्मण ।
    15/4. मूल चन्द आत्मज लक्ष्मण ।
    15/5. राधाकिशन आत्मज लक्ष्मण ।

15/6. घनश्याम आत्मज लक्ष्मण ।
15/7. प्रेम चन्द आत्मज लक्ष्मण ।
15/8. शांति लाल आत्मज लक्ष्मण ।
15/9. अनोख बाई पुत्री लक्ष्मण ।
15/10. सुशीला पुत्री लक्ष्मण ।
16. मोहन लाल आत्मज रामनाथ ।
17. फूंदी लाल आत्मज रामनाथ ।
18. राधा बाई पुत्री रामनाथ जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
19. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बाबूलाल योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 19.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की 02 किता की 4.62 हैक्टर आराजी एवं ग्राम बगतरी तहसील दीगोद की कुल 14 किता की 5.18 हैक्टर भूमि तथा ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद की कुल 02 किता की 19 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.07.2015 के पक्षकारान की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 17 लगायत 21 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत की सूचना दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी व जवाबदावा भी पेश नहीं हुआ और लोक अदालत की पेशी के कोई सम्मन अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुए और तारीख पेशी के दिन अपीलान्ट के वकील साहब भी उपस्थित नहीं थे और न ही अपीलान्ट उपस्थित है । इसके बावजूद भी वकील की उपस्थिति दर्ज कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट की उपस्थिति के व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में दावा डिक्री किया है जिसकी जानकारी दिनांक 02.09.2015 को पटवारी हल्का द्वारा दावा डिक्री होने की कहने पर हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने बंटवारे का दावा पेश किया जो तलबी में लम्बित था उसे लोक अदालत में रखा गया । अपीलान्टगण को इसकी जानकारी नहीं थी । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । तारीख पेशी के दिन अपीलान्टगण के वकील साहब भी उपस्थित नहीं थे और न ही अपीलान्टगण उपस्थित थे । इसके बावजूद उपस्थिति दर्ज कर धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में अंतिम डिक्री जारी की है । सभी पक्षकारान अपने हिस्से के अनुसार काबिज है, कब्जे के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की जानी चाहिए थी इस हेतु कब्जे की रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी । ऐसा न कर सीधे ही दावा डिक्री कर प्रारम्भिक डिक्री न बनाकर अंतिम डिक्री जारी की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बंटवारे का दावा था, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार सहमति के आधार पर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है। अपीलान्टगण के अभिभाषक उपस्थित थे । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके अभिभाषक की उपस्थिति व सहमति जो अंकित की गई है है तो वह गलत रूप से अंकित कीहै तो वे अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2015 को लोक अदालत में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.07.2015 के अनुसार वादी उपस्थित हैं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 16 उपस्थित हैं और प्रतिवादीगण कम 17 से 21 के वकील उपस्थित हैं । अपील प्रतिवादीगण कम 17 से 21 के द्वारा पेश की गई है । आदेशिका पर वकील प्रतिवादी कम 17 से 21 के हस्ताक्षर किये हैं । आदेशिका के अनुसार पक्षकारान ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा करने के लिए सहमति दी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये हैं । अपीलान्टगण का यह कथन कि सीधे ही अंतिम डिक्री जारी की है तथ्यों के विपरीत है । जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में प्राप्त किये जाते हैं और उनपर पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के बाबत् अपीलान्टगण ने कोई आपत्ति नहीं की है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार उनके अभिभाषक उपस्थिति हुए हैं और हिस्से के अनुसार बंटवारे के लिए सहमति दी है । ऐसी स्थिति में सहमति के आधार पर जारी विभाजन की प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि उनके अभिभाषक ने सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सहमति के आधार पर विभाजन की डिक्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.2.19

(भागबंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/409

1. राम कुमार आत्मज रामसुख ।
2. रामस्वरूप आत्मज रामसुख मृतक जरिये कायमुकामान :-
   2/1. मोत्या बाई बेवा रामस्वरूप ।
   2/2. जगदीश आत्मज रामस्वरूप ।
   2/3. गुड्डी बाई पुत्री रामस्वरूप ।
   2/4. रोज पुत्री रामस्वरूप ।
   2/5. हरिओम आत्मज रामस्वरूप ।
3. हेमराज आत्मज रामसुख ।
4. किशन गोपाल आत्मज रामसुख ।
5. धर्मराज आत्मज रामसुख जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

--अपीलार्थी

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज घांसी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. द्वारका बाई बेवा प्रभूलाल
   1/2. कन्हैया लाल आत्मज प्रभूलाल
   1/3. रतन बाई पुत्री प्रभूलाल
2. मोतीलाल आत्मज जगन्नाथ जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कालू लाल आत्मज जगन्नाथ ।
4. बाबूलाल आत्मज जगन्नाथ ।
5. शांति लाल आत्मज जगन्नाथ ।
6. पुष्पाबाई बेवा जगन्नाथ (नामतर्क) ।
7. गोपाली बाई पुत्री जगन्नाथ ।
8. रूकमणी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
9. छोटी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
10. स्यानी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
11. हरि बल्लभ उर्फ बलफा आत्मज घांसी लाल ।

12. छोटू लाल उर्फ छोट्या आत्मज घांसी लाल ।
13. मूली बाई पुत्री भवाना ।
14. मथुरी बाई पुत्री भवाना ।
15. लक्ष्मण पुत्र रामनाथ मृतक जरिये कायममुकामान :—
 15/1. रामनाथी बेवा लक्ष्मण ।
 15/2. चतुर्भुज आत्मज लक्ष्मण ।
 15/3. नन्द किशोर आत्मज लक्ष्मण ।
 15/4. मूल चन्द आत्मज लक्ष्मण ।
 15/5. राधाकिशन आत्मज लक्ष्मण ।
 15/6. घनश्याम आत्मज लक्ष्मण ।
 15/7. प्रेम चन्द आत्मज लक्ष्मण ।
 15/8. शांति लाल आत्मज लक्ष्मण ।
 15/9. अनोख बाई पुत्री लक्ष्मण ।
 15/10. सुशीला पुत्री लक्ष्मण ।
16. मोहन लाल आत्मज रामनाथ ।
17. फूंदी लाल आत्मज रामनाथ ।
18. राधा बाई पुत्री रामनाथ जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
19. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 325/दावा/2009

1. प्रभूलाल आत्मज घांसी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
 1/1. द्वारका बाई बेवा प्रभूलाल
 1/2. कन्हैया लाल आत्मज प्रभूलाल
 1/3. रतन बाई पुत्री प्रभूलाल
2. मोतीलाल आत्मज जगन्नाथ जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. कालू लाल आत्मज जगन्नाथ ।
2. बाबूलाल आत्मज जगन्नाथ ।
3. शांति लाल आत्मज जगन्नाथ ।
4. पुष्पाबाई बेवा जगन्नाथ (नामतर्क) ।
5. गोपाली बाई पुत्री जगन्नाथ ।
6. रूकमणी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
7. छोटी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
8. स्यानी बाई पुत्री जगन्नाथ ।
9. हरि बल्लभ उर्फ बलफा आत्मज घांसी लाल ।
10. छोटू लाल उर्फ छोट्या आत्मज घांसी लाल ।
11. भूली बाई पुत्री भवाना ।
12. मथुरी बाई पुत्री भवाना ।
13. लक्ष्मण पुत्र रामनाथ मृतक जरिये कायममुकामान :–
   13/1. रामनाथी बेवा लक्ष्मण ।
   13/2. चतुर्भुज आत्मज लक्ष्मण ।
   13/3. नन्द किशोर आत्मज लक्ष्मण ।
   13/4. मूल चन्द आत्मज लक्ष्मण ।
   13/5. राधाकिशन आत्मज लक्ष्मण ।
   13/6. घनश्याम आत्मज लक्ष्मण ।
   13/7. प्रेम चन्द आत्मज लक्ष्मण ।
   13/8. शांति लाल आत्मज लक्ष्मण ।
   13/9. अनोख बाई पुत्री लक्ष्मण ।
   13/10. सुशीला पुत्री लक्ष्मण ।
14. मोहन लाल आत्मज रामनाथ ।
15. फूंदी लाल आत्मज रामनाथ ।
16. राधा बाई पुत्री रामनाथ जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
17. राम कुमार आत्मज रामसुख ।
18. रामस्वरूप आत्मज रामसुख मृतक जरिये कायमुकामान :–
   18/1. मोत्या बाई बेवा रामस्वरूप ।
   18/2. जगदीश आत्मज रामस्वरूप ।
   18/3. गुड्डी बाई पुत्री रामस्वरूप ।
   18/4. रोज पुत्री रामस्वरूप ।
   18/5. हरिओम आत्मज रामस्वरूप ।
19. हेमराज आत्मज रामसुख ।
20. किशन गोपाल आत्मज रामसुख ।
21. धर्मराज आत्मज रामसुख जाति माली निवासीगण बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 19.02.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बाबू लाल योगी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 19.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

19/2/19

(भागवंती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा